भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञापन सं. डीएसटी/02/2023-स्था.III

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भौतिकी अनुशासन में वैज्ञानिक 'डी' के 02 पदों को भरने के लिए प्रतिनियुक्ति [अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी) सहित] के आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: -

	पद नाम :	**वैज्ञानिक 'डी'**
1.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:	7 वें सीपीसी में वेतन मैट्रिक्स 78800-209200 रुपये में स्तर 12
2.	**रिक्तियों की कुल संख्या** :	दो **(02)**
3.	**भर्ती का तरीका**:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)
4.	**पद की प्रकार:**	स्थायी
5.	**प्रतिनियुक्ति की अवधि**:	तीन वर्ष

6. **अर्हता:**

I. भारत या विदेश में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्, जिन्होंने: (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हुआ है; या (ii) 7 वें सीपीसी के वेतन स्तर 11 (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड - 3,6600 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद उसमें पांच साल सेवा की हो; और

II. जो नीचे विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:-:

अनिवार्य:

i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

ii. औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों या वैज्ञानिक गतिविधियों और सेवाओं में अनुसंधान और विकास में कार्य करने का आठ वर्ष का अनुभव, जिसमें से चार साल का अनुभव विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, आयोजना, विकास और सहयोग में कार्य करने का होगा।

वांछनीय :

i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में डॉक्टरेट की डिग्री या समतुल्य।

टिप्पणी 1: अनिवार्य योग्यता धारण करने में व्यतीत अवधि अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। तथापि, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री, जिन मामलों में डॉक्टरेट की डिग्री अनिवार्य योग्यता नहीं है, प्राप्त करने में व्यतीत अवधि, अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन, और विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन में व्यतीत अवधि को, अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन, जो ऐसे विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के प्रमाणन से पुष्ट हो, अनुभव में जोड़ा जाएगा।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर नियुक्ति में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर **तीन साल से अधिक नहीं होगी**, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिकतम 5 वर्षों के तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पणी 3: फीडर श्रेणी में विभागीय उम्मीदवार, जो फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंटिंग स्कीम (एफसीएस) के तहत यथास्थान पदोन्नति की कतार में हैं, पूर्व-कैडर पद को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे, जिसके लिए वे फीडर ग्रेड अधिकारी नहीं हैं। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति एफसीएस के तहत यथास्थान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 5: गैरदूरस्थ क्षेत्रों से- प्राप्त आवेदन, सभी मामलों में आयु-सीमा और पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। **अंतिम तिथि के उपरांत प्रस्तुत पात्रता समर्थक दस्तावेजों को आवेदन के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा।**

7. **सामान्य**

i. भरे जाने वाले पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। विभाग बिना कारण बताए भर्ती रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

ii. प्रासंगिक भर्ती नियम निम्नलिखित लिंक: https://dst.gov.in/sites/default/files/gazetted-post-2013.pdf पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले इसका अवलोकन करें।

iii. आवेदकों को विभाग की वेबसाइट www.dst.gov.in नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है। भर्ती प्रक्रिया संबंधी कोई भी अनुशेष /शुद्धिपत्र या कोई भी अपडेट केवल विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

iv. अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें ताकि तिथि समाप्ति के दिनों में वेबसाइट पर भारी लोड के कारण पोर्टल पर लॉग इन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।

v. निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इतनी योग्यता का धारण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रण का पात्र नहीं बनाता है। उपरोक्त उल्लिखित अनिवार्य और वांछनीय अर्हताओं की 'समतुल्य' योग्यता पर विचार करना, आवेदन जांच हेतु गठित प्रयोज्य समिति का स्वनिर्णय होगा। यदि विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक है, तो विभाग सुपरिभाषित मानदंड, जिसमें विज्ञापन में निर्धारित से अधिक वांछनीय योग्यता और/अथवा अनुभव और/अथवा विभाग की विशिष्ट आवश्यकतानुसार किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता/अनुभव शामिल हो सकता है, के आधार पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को उचित सीमा तक सीमित कर सकता है। साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में से वरीयता क्रम में उम्मीदवारों का आरक्षित पैनल तैयार किया जाएगा जो साक्षात्कार की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। पैनल का उपयोग विज्ञापित रूप में प्रस्तुत रिक्तियों सहित उन रिक्तियों, जो सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/ मृत्यु आदि जैसे किसी भी कारण से इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख के बाद उत्पन्न हो सकती हैं/हो गई होंगी, को भरने के लिए किया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया है/नियुक्ति के लिए चयनित नहीं किया गया है, उनसे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। **किसी भी प्रकार की संयाचना करने से अभ्यर्थिता अयोग्य हो जाएगी।**

vi. चूंकि साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के लघुसूचीयन के मानदंड को न्यूनतम पात्रता मानदंड से और अधिक किया जा सकता है, इसलिए **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संपूर्ण शैक्षिक योग्यता और/अथवा अनुभव प्रस्तुत करें और साथ ही अपनी अभ्यर्थिता के समर्थन में अन्य दस्तावेज जैसे शोध-पत्रों की सूची आदि संलग्न करें।**

vii. चयनित अभ्यर्थी को भारत में और भारत के बाहर सेवा करने के लिए कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।

viii. नियुक्ति की अवधि और शर्त समय समय पर यथासंशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून, 2010 के का.ज्ञा.सं.6/8/2009-स्था(वेतन II) के अनुसार होंगे।

ix. प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) के आधार पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित आवेदनों का मूल्यांकन स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। पदों

के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

x. पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी होते ही या जैसे ही वर्तमान पदाधिकारी कार्यालय भेजता है, जो भी बाद में हो, पदों पर शामिल होना आवश्यक है। तदनुसार, उम्मीदवारों से ब्रीफिंग/ओरिएंटेशन कार्यक्रम आदि के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद की जाती है।

8. <u>**आवेदन करने का तरीका :**</u>आवेदन प्रक्रिया में दो चरण शामिल है:

क. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना:

(क) योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे वैध ईमेल आईडी का उपयोग करके **ऑनलाइन** पोर्टल **https://recruitment.dst.gov.in/** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने हेतु यह ऑनलाइन पोर्टल एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में विज्ञापन की तिथि से 45 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ख) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा और अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्र / दस्तावेज अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र भरने के निर्देश **https://recruitment.dst.gov.in/** पर उपलब्ध होंगे।

टिप्पणी 1: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्पष्ट पठनीय प्रमाण पत्र / दस्तावेज अपलोड करें। गलत प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने से अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है।

टिप्पणी 2: अनुभव/रोजगार प्रमाणपत्र/कार्य/अनुसंधान कार्य के लिए एनओसी में शामिल होने की तारीख, कार्यमुक्ति की तारीख और धारित पद का स्पष्ट रूप से इंगित होनी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार ने एक ही संगठन में विभिन्न पदों /स्तरों (पदोन्नति आदि के कारण) पर काम किया है, तो अनुभव / रोजगार प्रमाण पत्र को प्रत्येक पद / स्तर पर बिताए गए समय को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए (स्पष्ट रूप से प्रत्येक पद / स्तर के लिए दिनांक को दर्शाता है)।

टिप्पणी 3: विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों को समतुल्यता प्रमाण-पत्र के रूप में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू), नई दिल्ली द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को ऐसे मामलों में समतुल्य प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी खारिज की जा सकती है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां एआईयू विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उन विषयगत ऐसी व्यावसायिक डिग्रियों की समतुल्यता के आवेदनों पर विचार नहीं करता है जो वर्तमान में एआईयू के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं और जहां ऐसे मामलों पर संबंधित व्यावसायिक परिषदों (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) द्वारा कार्रवाई की जाती है, आवेदक को चाहिए की वे ऐसी व्यावसायिक परिषद द्वारा जारी समतुल्यता प्रमाण पत्र (पत्रों) को अपलोड करें, अन्यथा उम्मीदवारी खारिज की जा सकती है। अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

टिप्पणी 4 : यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार/ पीएसयू/स्वायत्त संगठन/ विश्वविद्यालय आदि में इस समय कार्य कर रहा हो, जहाँ वेतनमान केंद्र सरकार के वेतनमान के समान नहीं है,वहाँ अभ्यर्थी को राजपत्र अधिसूचना/सरकारी आदेश को अपलोड करना होगा,जिसमें राज्य सरकार/पीएसयू/

स्वायत्त संगठन/विश्वविद्यालय आदि के ऐसे वेतनमान को केंद्र सरकार के सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के तदनुरूप वेतनमान/स्तर के समान कर दिया गया हो। इस संबंध में **ऐसी समतुल्यता प्रदान करने का दायित्व अभ्यर्थी होगा** और ऐसे मामलों में विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

टिप्पणी 5: शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, विकलांगता, समुदाय, अनुभव, शोध पत्रों की सूची आदि के समर्थन में प्रमाण पत्रों की प्रतियां आवेदन के साथ अपलोड की जानी चाहिए। उम्मीदवारों को आवश्यकता पड़ने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ख . आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी (उचित माध्यम द्वारा) को पंजीकृत अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत करना:

(क) अभ्यर्थी को कंप्यूटर से तैयार आवेदन की हार्ड कॉपी (भर्ती पोर्टल पर आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद) अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को स्व-सत्यापित किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ अग्रेषित ऑनलाइन आवेदन भरते समय भर्ती पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों को आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ अग्रेषित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ख) सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों/विश्विद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थी को अपने आवेदन की **हार्ड कॉपी, विधिवत हस्ताक्षरित, उचित माध्यम से भेजनी चाहिए।** निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित संरूप (**अनुबंध- I**) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित '**प्रमाणपत्र**' के साथ उचित माध्यम से प्राप्त होने पर ही आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

(ग) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा**, भले ही ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि के पहले भरा गया हो।** इस प्रकार अभ्यर्थी की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने विभाग/संगठन में अपने आवेदन का अनुवर्तन करे और यह सुनिश्चित करे कि उसका आवेदन हर प्रकार से पूर्ण है और उसके सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित है, और वह आवेदन इस विभाग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, किसी भी रूप में अधूरा आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। डाक विभाग द्वारा विलंब अथवा संबंधित अग्रेषण प्राधिकारी आदि द्वारा अग्रेषण में विलंब सहित किसी कारणवश आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। **इस संबंध में कोई ढील नहीं दी जाएगी।**

(घ) पिछले पांच वर्षों के एसीआर / एपीएआर की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अवर सचिव (स्थापना- III), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, नया महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा उचित माध्यम से अग्रेषित किए जा सकते हैं ताकि वह ऑनलाइन पोर्टल बंद होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर इस विभाग में पहुँच जाए। संगठन/संस्थान (जिनके कर्मचारी अन्यथा आवेदन करने के पात्र हैं) जिनके पास एपीएआर/एसीआर रिकॉर्ड करने की प्रणाली नहीं है, उन्हें अपने संगठनों/संस्थानों के प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले 05 वर्षों के अपने कार्य प्रोफाइल और ग्रेडिंग को उचित चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल बंद होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर (दूरदराज के क्षेत्रों के लिए 30 दिन) आवेदनों के साथ प्रस्तुत करना होगा ताकि इस विभाग तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा समय से पहुंच सके ।

(ङ) **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन को साधारण डाक अथवा कुरियर से नहीं भेजें।**

(च) निर्धारित समय और तिथि के भीतर प्राप्त आवेदनों की सूची आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद डीएसटी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदनों की स्थिति की जांच करें। वेबसाइट पर सूची पोस्ट करने की तारीख के सात दिनों के भीतर इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन (निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त आवेदनों की सूची में नाम शामिल न होना) निर्धारित समय सीमा के भीतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में आवेदन सुपुर्दगी के संगत प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है।

9. विज्ञापन के अंग्रेजी और हिंदी अनुवादों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, विज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद अभिभावी होगा। **आवेदनों की अग्रिम प्रतियों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

विनोद शर्मा

(विनोद कुमार शर्मा)
अवर सचिव

<u>अनुलग्नक ।</u>

<u>प्रमाणपत्र</u>

(संगठन / कार्यालय के प्रमुख द्वारा दिए जाने के लिए)

(i) प्रमाणित किया गया है कि श्री / श्रीमती / सुश्री .... इस संगठन में....................... पर........................ को कार्यभार ग्रहण किया है और वर्तमान में .... के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं ।

(ii) प्रमाणित किया गया है कि ब्यौरे सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्यवाही लंबित या अवेक्षित नहीं है। अधिकारी की ईमानदारी भी प्रमाणित है।

(iii) श्री/श्रीमती/सुश्री.. के आवेदन की सिफारिश की जाती है। उनका चयन हो जाने पर विभाग / संगठन उन्हें भारमुक्त कर देगा।

(iv) पिछले पांच वर्षों के दौरान एसीआर/एपीएआर की प्रतियां भी संलग्न हैं।

स्थान : संगठन/कार्यालय के प्रमुख के हस्ताक्षर

कार्यालय की मुहर

दिनांक :